राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 31 अक्तूबर, 2009/9 कार्तिक, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 31 अक्तूबर, 2009

संख्याः 7–2/2008–ई0एल0एन0.––भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई0डी0/2009/एस0डी0आर0 (हि0प्र0) दिनांक 27 अक्तूबर, 2009, जिसमें 3–रोहड़ू व 36–जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप–निर्वाचन–2009 के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से
(अनिल खाची)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संः 3 / 4 / आई.डी. / 2009 / एस0डी0आर (हि0प्र0) दिनांकः 27 अक्तूबर, 2009

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचको के लिए अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटो सहित निर्वाचक–पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है ; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबन्धों के अधीन निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किये गये है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनो को ही साथ–साथ प्रयोग में लाया जाना है ; और

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था ; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया था, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन–तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचको, को ध्यान में रखते हुए पहचान–पत्र जारी करने के लिए, निर्वाचन–क्षेत्रों और इलाकों मे अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किए है; और

7. यतः हिमाचल प्रदेश में निर्वाचकों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा चुकी है और जारी कर दी गई है; और

8. यतः, जनवरी–मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, और तब से अब तक हुए सभी साधारण निर्वाचनों तथा उप–निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हे निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जा चुके है, उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान–पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्राप्त नहीं किए है, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

9. अतः, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि **हिमाचल प्रदेश में 3–रोहडू और 36–ज्वाली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप निर्वाचन, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित हुआ था, के लिए मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी मतदाताओ को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी हो चुका है, को इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.––

(*i*) पासपोर्ट।

(*ii*) ड्राइविंग लाइसेन्स ।

(*iii*) आयकर पहचान–पत्र (पी0ए0एन) ।

(*iv*) राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान–पत्र ।

(*v*) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों डाकधरों द्वारा 30–9–2009 तक खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त पासबुक।

(*vi*) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान–पत्र ।

(*vii*) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30–9–2009 तक जारी फोटोयुक्त अ.जा. / अ.ज.जा. / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र ।

(*viii*) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30–9–2009 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण–पत्र ।

(*ix*) 30–9–2009 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस ।

(*x*) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 30–9–2009 तक जारी फोटो युक्त जॉब कार्ड।

(*xi*) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि

(*xii*) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक / पेंशन अदायगी आदेश / भूतपूर्व सैनिक की विधवा / आश्रित प्रमाण–पत्र / वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश (30–9–2009 तक जारी)।

(*viii*) फोटो युक्त स्वास्थ बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय 30–9–2009 तक जारी)।

10. परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आदेश से,
(के.एफ.विल्फ्रेड),
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 3/4/ID/2009/SDR/(HP) Dated: 27-10-2009.

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Himachal Pradesh, have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, electoral rolls containing photographs of the electors have been prepared and issued in Himachal Pradesh; and

8. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January – March, 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission.

9. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 3-Rohru and 36-Jawali Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, for the bye election notified on 14th October 2009, shall produce their EPICs for establishing their identity before casting their votes. If any elector

fails to produce his/her EPIC, such elector shall have to produce any of the following alternative photo documents for establishing his/her identity:—

(i) Passports,

(ii) Driving Licences,

(iii) Income Tax Identity (PAN) Cards,

(iv) Service Identity Cards having photographs, issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies,

(v) Passbooks containing photographs for Accounts opened up to 30-9-2009 in Public Sector Banks/Post Offices.

(vi) Freedom Fighter Identity Card with photographs.

(vii) SC/ST/OBC Certificates issued by competent authority with photographs issued up to 30-9-2009,

(viii) Certificate of Physical Handicap having photograph issued by Competent Authority issued up to 30-9-2009,

(ix) Arms Licenses having photographs issued up to 30.9.2009,

(x) Job Cards with photograph issued under the National Rural Employment Guarantee Scheme issued up to 30-9-2009.

(xi) Property Documents with photograph such as Pattas, Registered Deeds, etc

(xii) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photographs (issued up to 30-9-2009),

(xiii) Health Insurance Scheme Smart Cards with photographs (Ministry of Labour's Schemes issued up to 30-9-2009.

10. Any of the abovementioned documents that is available only to the head of the family may be used for identifying the other members of the family provided all members come together and are identified by the head of the family.

By order,
K. F. WILFRED,
Secretary.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 31 अक्तूबर, 2009

संख्याः 3–12 / 2009–ई0एल0एन0.–– भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576 / 3 / ई.वी. एम / 2009 / एस0डी0आर(वि.स.), दिनांक 23 अक्तूबर, 2009, जो कि विधान सभा उप–निर्वाचन–2009 में निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डालने और रिकार्ड करने बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
अनिल खाची,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

तारीख : 23 अक्तूबर, 2009

निदेश

संख्या 576 / 3 / ई.वी.एम. / 2009 / एस0डी0आर;वि.स.).––यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे तथा

2. यतः आयोग ने असम में 22–साल्मारा दक्षिण और 71–धेकियाजुली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश में 3–रोहडू और 36–ज्वाली विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों, केरल में 10–कन्नुर, 100–अल्लेप्पी और 72–एरनाकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, राजस्थान में 156–सलूम्बर.....अ0ज0जा। और 81–टोडाभीम... अ0ज0जा। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 45–पुवायॉ.....अ0जा0।, 86–लखनऊ पश्चिम, 181–पडरौना, 239–रारी, 108–इसौली, 312–झॉसी, 229–कोलअसला, 162–हैंसर बाजार, 311–ललितपुर, 288–इटावा और 290–भरथना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ में 66–वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में 11–कालचीनी.....अ0ज0जा। 21–राजगंज.....अ0जा0।, 48–सुजापुर, 29–गोलपोखर, 85–बोंगॉव, 211–कोन्टाई दक्षिण, 213–इगरा, 180–सेरामपोर, 148–अलीपोर और 139–बेलगाचिया पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा असम में 22–साल्मारा दक्षिण और 71–धेकियाजुली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश में 3–रोहडू और 36–ज्वाली विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों, केरल में 10–कन्नुर, 100–अल्लेप्पी और 72–एरनाकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, राजस्थान में 156–सलूम्बर..... अ0ज0जा। और 81–टोडाभीम.....अ0ज0जा। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 45–पुवायॉ.....अ0जा0।, 86–लखनऊ पश्चिम, 181–पडरौना, 239–रारी, 108–इसौली, 312–झॉसी, 229–कोलासाला, 162–हेनसार बाजार, 311–ललितपुर, 288–इटावा और 290–भरथना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ में 66–वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में 11–कालचीनी.....अ0ज0जा। 21–राजगंज.....अ0जा।, 48–सुजापुर, 29–गोलपोखर, 85–बोंगॉव, 211–कोन्टाई दक्षिण, 213–इगरा, 180–सेरामपोर, 148–अलीपोर और 139–बेलगाचिया पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को उन निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 14 अक्तूबर, 2009 को अधिसूचित उक्त राज्यों में विधान सभा के लिए चालू उप निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आदेश से,
के0एफ0 विल्फ्रेड,
सचिव।

———————

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi –110 001

Dated: 23rd October, 2009.

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2009/SDR(LA).— Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 22-Salmara South and 71-Dhekiajuli Assembly Constituencies in Assam, 3-Rohru and 36-Jawali Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, 10-Cannanore, 100-Alleppey and 72-Ernakulam Assembly Constituencies in Kerala, 156-Salumber (ST) and 81-Todabhim (ST) Assembly Constituencies in Rajasthan, 45 Powayan (SC), 86-Lucknow West, 181-Padrouna, 239-Rari, 108-Isauli, 312-Jhansi, 229-Kolasala, 162-Hainsar Bazar, 311-Lalitpur, 288-Etawah and 290-Bharthana Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency in Chhatisgarh and 11-Kalchini (ST), 21 Rajganj (SC), 48-Sujapur, 29-Goalpokhar, 85- Bongaon, 211-Contai South, 213-Egra, 180 Serampore, 148-Alipore and 139-Belgachia East Assembly Constituencies in West Bengal, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 22-Salmara South and 71-Dhekiajuli Assembly Constituencies in Assam, 3-Rohru and 36-Jawali Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, 10-Cannanore, 100-Alleppey and 72-Ernakulam Assembly Constituencies in Kerala, 156-Salumber (ST) and 81-Todabhim (ST) Assembly Constituencies in Rajasthan, 45-Powayan (SC), 86-Lucknow West, 181-Padrouna, 239-Rari, 108-Isauli, 312-Jhansi, 229-Kolasala, 162-Hainsar Bazar, 311-Lalit pur, 288-Etawah and 290-Bharthana Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency in Chhatisgarh and 11 Kalchini (ST), 21-Rajganj (SC), 48-Sujapur, 29-Goalpokhar, 85- Bongaon, 211-Contai South, 213 Egra, 180-Serampore, 148-Alipore and 139-Belgachia East Assembly Constituencies in West Bengal, as the constituencies in which the votes at the current byeelections to the Legislative Assemblies of the said States notified on 14th October, 2009, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,
K.F. WILFRED,
Secretary.

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री चन्द लाल बनाम आम जनता।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चन्द लाल पुत्र श्री दास राम, निवासी हवाणी ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी माता श्रीमती हिमती देवी की मृत्यु दिनांक 8–6–1993 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है। अब इन्द्राज करने के ओदश दिए जाए।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत उप पंजीकाध्यक्ष, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री अनिल कुमार बनाम आम जनता।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी खनौड ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र इस आश्य से पेश किया है कि मृत्क ठाकर दास पुत्र श्री माघु, निवासी खनौड ने मेरे नाम वसीयत तैहरीर करवाई है ताकि भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 40 व 41 के अन्तर्गत वसीयत को पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। श्री ठाकर दास की मृत्यु दिनांक 4–12–2007 को हो चुकी है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत का पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप पंजीकाध्यक्ष,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रूपिया पुत्र श्री सवरातू, निवासी तरयाम्वला, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री रूपिया पुत्र श्री सवरातू, निवासी तरयाम्वला, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रूपिया है परन्तु कागजात माल मुहाल तरयाम्वला में उसका नाम गलत रूप लाल दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी धरवासड़ा, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी धरवासड़ा, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम ओम प्रकाश है परन्तु कागजात माल मुहाल धरवासड़ा में उसका नाम गलत प्रकाश चन्द दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री वास्वा नन्द पुत्र श्री गोबिन्द, निवासी मठी वनवार, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री वास्वा नन्द पुत्र श्री गोबिन्द, निवासी मठी वनवार, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम वास्वा नन्द है परन्तु कागजात माल मुहाल मठी वनवार में उसका नाम गलत बेली राम दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री कृष्ण देव पुत्र श्री त्रहडू, निवासी चौकी, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री कृष्ण देव पुत्र श्री त्रहडू, निवासी चौकी, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कृष्ण देव है परन्तु कागजात माल चौकी में उसका नाम गलत कृष्ण चन्द दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री मोहला राम पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी लुधियाणा, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

श्री मोहला राम पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी लुधियाणा, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम मोहला राम है परन्तु कागजात माल लुधियाणा में उसका नाम गलत लुदर दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे यदि कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5–10–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित